

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District**
(जिला): ACB DISTRICT **P.S.**
(थाना): C.P.S Jaipur **Year**
(वर्ष): 2026
2. **FIR No.**
(प्र.सू.रि.सं): 0190 **Date and Time of FIR**
(एफआईआर की तिथि/समय): 10/07/2026 16:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From**
(दिनांक से): 27/04/2026 **Date To**
(दिनांक तक): 27/04/2026
- Time Period**
(समय अवधि): पहर **Time From**
(समय से): 17:30 बजे **Time To**
(समय तक): 20:30 बजे
- (b) **Information received at P.S.**
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): **Date**
(दिनांक): 10/07/2026 **Time**
(समय): 16:00 बजे
- (c) **General Diary Reference**
(रोजनामचा संदर्भ) : **Entry No.**
(प्रविष्टि सं.): 003 **Date & Time**
(दिनांक एवं समय) 10/07/2026 16:58:22 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. (a) **Direction and distance from P.S.**
(थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 07 किमी **Beat No.**
(बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) **Address(पता):** BAHARI GHATA HAIWAY TIRAHA, SIROHI
- (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S**
(थाना का नाम): **District(State)**
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KUYARAM

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 31/08/1969 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAYA KHERA, SUMERPUR, TAKHATGARH, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAYA KHERA, SUMERPUR, TAKHATGARH, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARSHDEEP SINGH GIL		पिता:FATEH SINGH GIL	1. 583,HOMELAND CITY,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
2	VIKAS KUMAR		पिता:NAND KISHOR	1. B 35,BANAD ROAD,KADAM VIHAR GATE 1,ARAWALI NAGAR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

1,50,000.00

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

श्रीमान् निवेदन है कि चौकी हाजा पर दिनांक 27.04.2026 को दोपहर बाद वक्त 05.30 पी.एम. पर श्री रामेश्वरलाल मेघवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही को विश्वस्त सूत्रों से विश्वसनीय सूचना मिली कि श्री हर्षदीप सिंह गिल, श्रम कल्याण अधिकारी सिरोही जो कि कस्बा आबूरोड़ की औद्योगिक ईकाईयों से अवैध रूप से वसूली करके सिरोही जिला मुख्यालय की तरफ श्रम विभाग में अनुबन्धित टैक्सी गाड़ी आरजे 24 टीए 3367 सफेद रंग की कार से शाम को सिरोही जिला मुख्यालय की तरफ अपने स्टाफ के साथ आएगा, जिसके पास भारी मात्रा में रिश्वत के रूप में प्राप्त की गई अवैध राशि है। प्राप्त गोपनीय सूचना विश्वसनीय होने एवं उक्त सूचना पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं होने से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना पर आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही का निर्णय लिया गया। संदिग्धान की जामा तलाशी का तलाशी वारण्ट सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने में समय लगने व तब तक संदिग्ध द्वारा अवैध राशि को कहीं खुर्द-बुर्द करने की पूर्ण संभावना को देखते हुए हस्ब कायदा धारा 103 व 185 बी.एन.एस.एस. 2023 के विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए संदिग्धान के विरुद्ध आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही आयोजित करने का निर्णय लिया जाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री अवतारसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री चेलाराम हैड कानि. नंबर 109, श्रीमती ईशु कुंवर मकानि. नंबर 157 जरिये सरकारी बोलेरो नंबर आरजे 14 यूई 0819 मय चालक श्री रमेश कुमार कानि. नंबर 119 कार्यालय हाजा के लैपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा एवं अन्य आवश्यक सामग्री के वक्त 0600 पी.एम. पर कार्यालय हाजा से रवाना होकर कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग सिरोही से डा० नारायणसिंह बुदेल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) व कार्यालय खनि. अभियंता सिरोही से श्री लादाराम कनिष्ठ सहायक को बतौर स्वतंत्र गवाहान हमराह लिये जाकर दोनों गवाहान का परिचय प्राप्त कर इन्हें मन्तव्य से अवगत करवाकर इनका परिचय प्राप्त किया गया तो दोनों ने स्वेच्छा से इस कार्यवाही में गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। जिस पर उक्त दोनों गवाहान को हमराह लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रवाना होकर सिरोही शहर से बाहर आबूरोड़ की तरफ बाहरी घाटा हाईवे तिराहे पर पहुंच उक्त संदिग्ध वाहन के आने के इंतजार में व्यस्त हुआ। वक्त करीबन 0750 पी.एम. पर आबूरोड़ की तरफ से एक सफेद रंग की स्वीफ्ट कार नं. आरजे 24 टीए 3367 जिसके आगे लगी लाल पट्टिका पर सफेद रंग में ON GOVT. DUTY राजस्थान सरकार लिखा हुआ आती दिखाई दी, जिसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो जाब्ते की सहायता से रूबरू गवाहान रूकवाकर सड़क के साईड में खड़ा करवाकर इस कार्यवाही की हमराह जाब्ता की श्रीमति ईशुकुंवर म.कानि. नं. 157 से साथ लाये गये कार्यालय के ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर से ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग प्रारम्भ करवाई जाकर उक्त वाहन में देखा तो उक्त स्वीफ्ट कार में तीन व्यक्ति होने पाये गये, जिसमें एक ड्राइवर सीट पर व उसके बगल की फ्रंट सीट पर एक चश्माधारी व्यक्ति तथा पीछे की सेन्टर सीट पर एक व्यक्ति सहित कुल तीन व्यक्ति बैठे मिले, जिन्हें रूबरू गवाहान मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान का परिचय देकर उन्हें रूकवाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उनका परिचय पूछा तो वाहन के ड्राइवर सीट की बगल में फ्रंट सीट पर बैठे चश्माधारी व्यक्ति ने अपना परिचय श्री हर्षदीप सिंह गिल पुत्र श्री फतेह सिंह गिल जाति जटसिख निवासी 583 होमलैण्ड सिटी श्रीगंगानगर हाल लेबर वेलफेयर ऑफिसर कार्यालय श्रम कल्याण विभाग सिरोही होना गाड़ी के पीछे की सैन्टर सीट पर बैठे शख्स अपना परिचय श्री विकास कुमार पुत्र श्री नन्दकिशोर, जाति राजपुत, निवासी सी 51 शास्त्री नगर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी सिरोही होना तथा ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना परिचय श्री धनसुख लाल पुत्र श्री शंकरलाल, जाति रावल, निवासी हरिओम नगर सिरोही एवं श्रम कल्याण विभाग में अनुबंध पर लगी स्वीफ्ट कार का ड्राइवर होना बताया। तत्पश्चात सर्व प्रथम श्री हर्षदीपसिंह गिल को गाड़ी से बाहर नीचे

उतारकर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं एवं हमराही जाबते मय दोनों स्वतंत्र गवाहों की तलाशी लेने बाबत कहा तो श्री हर्षदीप सिंह गिल द्वारा सभी की तलाशी लेने से स्वेच्छा से विनम्रतापूर्वक मना किया गया, जिस पर तीनों संदिग्धान के सामने मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान की जामा तलाशी ली जाकर इनके पास कोई राशि. दस्तावेजात एवं संदिग्ध वस्तु आदि नहीं होना सुनिश्चित कर हमराही स्वतंत्र गवाहों की सहायता से श्री हर्षदीप सिंह गिल की जामा तलाशी लिरवाई गई तो उसके पहने हुए पेन्ट की जेब में एक पर्स मिला, जिसमें 5760 रु. व स्वयं का आधार कार्ड मिला, पैन्ट की दूसरी जेब में स्वयं का मोबाईल सैमसंग एस-23 जिसमें सिम नं.

मिला, इसके पश्चात श्री विकास कुमार कनिष्ठ सहायक को गाडी से नीचे उतारकर तलाशी ली गई तो उसके पहनी हुई पैन्ट के दाहिने साईड की जेब में एक आई फोन-15 सिम नं.

मिला, फिर चालक श्री धनसुख लाल को बाहन से नीचे उतारकर जामा तलाशी ली गई तो उसके पास पहनी हुई पैन्ट के दाहिने साईड की जेब में 2795 रु. नगद व एक मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी ए 14 सिम नं. 9460834155 मिला। तीनों संदिग्धान की जामा तलाशी में मिली राशि व सामग्री आदि स्वतन्त्र गवाह श्री नारायणसिंह बुन्देल के पास रखवाकर दोनों गवाहान से संदिग्धान के वाहन की तलाशी लिरवाई गई तो वाहन के अन्दर पीछे की सीट पर दाहिनी तरफ एक हल्के काँफी रंग का रैगजीन बैग जिस पर RHYTHM का लोगो लगा हुआ हैण्ड बैग मिला, जिसे स्वतन्त्र गवाहान श्री नारायणसिंह बुन्देल से खुलवाकर चैक करवाया गया तो उक्त बैग में एक प्लास्टिक की थैली में भारतीय मुद्रा 500-500 रु. के नोटों की 03 गड्डियां मिली, जिसकी स्वतन्त्र गवाह श्री लाधाराम कनिष्ठ सहायक से गिनती करवाई गई तो प्रत्येक गड्डी में 100-100 नोट, राशि 50,000-50,000 रु. इस प्रकार कुल 1,50,000 रु. मिले। इसके अलावा इसी बैग में एक वार्षिक कैलेण्डर 2026 की एक डायरी (नोट पैड) मिली, जिसे हमराह गवाहान से खुलवाकर चैक किया गया तो डायरी के प्रथम पृष्ठ पर विकास कुमार कनिष्ठ सहायक श्रम विभाग सिरोही की मोहर अंकित होकर हस्ताक्षर किये हुए तथा इसमें दैनिक राजकार्य का विवरण अंकित सुदा है, साथ ही इस बैग में पोर्स एनर्जी लिमिटेड की पत्रावली एवं राज्य निर्वाचन आयोग के लूज दस्तावेजात मिले। जिसके सम्बन्ध में सर्वप्रथम श्री हर्षदीपसिंह गिल श्रम कल्याण अधिकारी से पूछा गया तो वह घबरा गया व कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। यह राशि, बैग तथा इसमें रखे दस्तावेज मेरे नहीं हैं, इसके अलावा कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर श्री विकास कुमार कनिष्ठ सहायक से इसके बारे में पूछा गया तो कहा कि यह राशि और बैग मेरा नहीं है, जिस पर बैग में रखी उसके नाम व सील मोहर की वार्षिक कैलेण्डर युक्त डायरी व राज्य निर्वाचन आयोग के दस्तावेजात के बारे में पूछा गया तो बताया कि डायरी मेरी है तथा मेरी नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधित मतदाता सूचियों में संशोधन बाबत मेरी डियूटी लगी होने से निर्वाचन आयोग संबंधित दस्तावेजात भी मेरे हैं। ये दस्तावेज व डायरी गाडी में रखे इस बैग में सुरक्षार्थ मेरे द्वारा अभी कुछ देर पहले रखे गये थे, किन्तु बैग व इसमें रखी राशि किसकी है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है पीछे की सीट पर रखे बैग को देखकर मैंने रूटिन में मेरी डायरी व दस्तावेज इसमें रख दिये थे। जिस पर चालक श्री धनसुखलाल से पूछा गया तो उसने बताया कि यह गाडी श्री हितेश रावल निवासी सरजावा गेट सिरोही की है, जो अनुबन्ध पर श्रम कल्याण विभाग सिरोही में लगी हुई है। जिस पर मैं हितेश रावल के कहेनुसार गत एक साल से ड्राइवरिंग कर रहा हूँ, मेरा मासिक वेतन 10,000 रु. हैं। राजकीय अवकाश को छोड़कर मैं हमेशा इस कार्यालय में वाहन लेकर जाता हूँ। छुट्टी के दिन विभाग द्वारा बुलाने पर वाहन लेकर जाना पड़ता है। आज दिन में लगभग 0200 पी.एम. पर श्री हर्षदीपसिंह गिल के निर्देशानुसार इनके साथ वाहन लेकर सिरोही से आबूरोड गये थे, जहां पर रिको औद्योगिक क्षेत्र मावल, आबूरोड में प्रिस्टाईन इण्डस्ट्री व प्रोस एनर्जी लिमिटेड तथा अमरतारा रिसोर्ट का श्री हर्षदीपसिंह गिल सर व विकासकुमार द्वारा भ्रमण किया गया था, इस दौरान मैं तो मेरे वाहन में ही बैठा रहा था, मैं कभी भी इनके साथ फैक्ट्रियों में नहीं जाता हूँ। जिनकी श्री हर्षदीप सिंह गिल व विकास कुमार ने पुष्टि की। बैग के बारे में पूछने पर चालक श्री धनसुख लाल ने बताया कि हर बार फैक्टरी में जाते वक्त गाडी से बैग उतारकर श्री विकासकुमार कनिष्ठ सहायक अपने साथ लेकर जाता एवं वापसी पर बैग साथ में लेकर वापस गाडी में लाकर अपने आगे रख देता, मेरे हिसाब से बैग के मूवमेण्ट को देखकर यह लगता है कि यह बैग श्री विकासकुमार कनिष्ठ सहायक का ही है, इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ तथा केवल 10,000 रु. मासिक मानदेय पर ड्राइवर का कार्य इस वाहन पर करता हूँ, मेरा इनसे वाहन चालक के अलावा अन्य कोई मतलब नहीं है, पैसों के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है कि ये लोग कहां से लेकर आये, इनके बारे में गिल साहब व विकासकुमार ही बता सकते हैं। जिस पर बरामदा संदिग्ध राशि 1.50 लाख रु. के संबंध में श्री गिल व विकासकुमार से पुनः पूछा गया तो दोनों नजरे नीचे किये हुए निरुत्तर रहे, व फिर बताया कि आज दोपहर सिरोही से रवाना होकर आबूरोड पंहुच अमरतारा रिसोर्ट, प्रिस्टाईन इण्डस्ट्री व प्रोस एनर्जी लिमिटेड का भ्रमण कर इन्हें बकाया श्रम उपकर जमा कराने की हिदायत की गई. इसके अलावा हमने कोई पैसे किसी से नहीं लिये एवं न ही रसीद वगैरहा काटी गई। बार-बार पूछने के बावजूद बरामदा संदिग्ध राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं होना दोनों लोकसेवकों द्वारा बताया गया। इस प्रकार उक्त वाहन में संदिग्धान लोकसेवक श्री हर्षदीपसिंह गिल श्रम कल्याण अधिकारी व श्री विकास कुमार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी सिरोही के कब्जा से कुल राशि 1,50,000 रु. बरामद हुई। जिनके स्रोत के संबंध में उक्त दोनों संदिग्ध लोकसेवकों से पूछताछ की गई तो इस राशि के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। इस आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही की ऑडियो विडियोग्राफी बन्द करवाई जाकर संदिग्ध लोकसेवकों को मय वाहन व चालक श्री धनसुखलाल के

मौका स्थल बाहरी घाटा हाईवे तिराहा सिरोही से मय हमराहियान एंव राजकीय वाहन के रवाना होकर नजदीक ही स्थित महिला पुलिस थाना सिरोही पहुंच रुबरू गवाहान व जाब्ता के पुन पूछताछ की गई तो संदिग्ध लोकसेवकों द्वारा पूर्व के तथ्य दोहराये जाने पर संदिग्ध लोकसेवकों को सूत्र सूचना के संबंध में बताकर उक्त राशि विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से बेतोर रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में पूछताछ की गई तो दोनों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया एंव नजरें नीचे किये हुए निरुत्तर रहे। संदिग्ध दोनों लोकसेवक बरामदा राशि के स्रोत के संबंध में जान-बूझकर कोई स्पष्ट तथ्य नहीं बता रहे हैं लिहाजा प्रथम दृष्टिया उक्त बरामदा राशि संदिग्ध लोकसेवकों द्वारा करवा आबूरोड की विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों से अवैध रूप से बतोर रिश्वत/पारितोषिक अवैध वसूली कर संकलित करना पाया जाने से संदिग्ध लोकसेवकों के कब्जा से बरामदा राशि 1,50,000 रु. को अवैध एवं संदिग्ध राशि मानते हुए रुबरू मौतविरान जब्त किया गया तथा हर तीनों की जामा तलाशी में प्राप्त राशि व मोबाईल पर्स आधार कार्ड इत्यादि के संबंध में इनका प्रत्युत्तर संतोषजनक होने से उक्त जामा तलाशी सामग्री संबंधित को रुबरू मौतविरान पुनः सुपुर्द की गई। कार्यवाही के सम्बन्ध में उच्च अफसरान को हालात जरिये दूरभाष निवेदन किये गये। आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही के दौरान राशि से संबंधित बैग व बैग में मिली विकास कुमार कनिष्ठ सहायक की डायरी, निर्वाचन आयोग के लूज दस्तावेज वर्क-26 तथा फर्म पोर्स एनर्जी लिमिटेड आबूरोड की पत्रावली पेज सं. 01 से 13 तक प्रकरण में वांछित होने से कब्जा ब्यूरो लिये जाकर इन दस्तावेजात के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर दोनों संदिग्ध लोकसेवकों व गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा ब्यूरो लिये गये। इसके अलावा अन्य कोई सामग्री, नगद राशि आदि नहीं मिली एवं न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। कार्यवाही से वाहन चालक श्री धनसुखलाल रावल की कोई संदिग्ध भूमिका नहीं पाई गई। दोनों संदिग्ध लोकसेवकों के कम अवधि के सेवाकाल के मध्यनजर इनके निवास स्थानों की निर्देशानुसार खाना तलाशी नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही के दौरान संदिग्ध लोकसेवकों से जब्त सुदा संदिग्ध राशि 1,50,000 रु. प्रभारी मालखाना श्री चेलाराम हैड कानि. नं. 109 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करने हेतु निर्देशित किया गया। दौराने चैकिंग कार्यवाही कार्यालय के राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड Micro SD 16 GB में श्रीमति ईशु कंवर म. कानि. नं. 157 के माध्यम से ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, श्री रमेश कुमार कानि. 119 के माध्यम से उक्त मेमोरी कार्ड Micro SD 16 GB मूल ही राजकीय विडियो रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रुबरू मौतविरान उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान उक्त आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही के ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से हेश वैल्यु निकालकर इसके दो डब पेन ड्राईव तैयार करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड Micro SD 16 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सीलड मौहूर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थैली पर मार्क-वी अंकित किया गया। दोनों डब पेन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। जब्त शुदा मूल मेमोरी कार्ड के पैकेट मार्क-वी एवं डब पैन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैड कानि. नं. 109 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त की कार्यवाही से बरामदा राशि 1,50,000 रुपये संदिग्ध लोक सेवकगण श्री हर्षदीपसिंह गिल, श्रम कल्याण अधिकारी व श्री विकास कुमार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही द्वारा कस्बा आबूरोड की विभिन्न औद्योगिक ईकाईया अमरतारा रिसोर्ट, प्रिस्टाईन इण्डस्ट्री व प्रोस एनर्जी लिमिटेड से अवैध रूप से बतोर रिश्वत / पारितोषिक अवैध राशि वसूली कर संकलित करना जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) बी 13 (2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व सपठित धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023 का प्रथम दृष्टया बखुबी प्रमाणित है। अतः (1) श्री हर्षदीपसिंह गिल पुत्र श्री फतेहसिंह गिल, उम्र 34 साल, जाति जटसिख, निवासी 583 होमलेण्ड सिटी, श्रीगंगानगर हाल श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग सिरोही व (2) श्री विकास कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्द किशोर, उम्र 27 साल, निवासी सी-50 राजा कॉलोनी, नहरी का नाका, शास्त्री नगर जयपुर हाल निवास स्थान प्लॉट नम्बर बी-35, कदम विहार गेट 1, अरावली नगर, बँनाड़ रोड जयपुर पिन 302012 हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग, सिरोही के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) बी 13 (2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व पठित धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (कुयाराम) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) बी 13 (2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व पठित धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण (1) श्री हर्षदीपसिंह गिल पुत्र श्री फतेहसिंह गिल, उम्र 34 साल, जाति जटसिख, निवासी 583 होमलेण्ड सिटी, श्रीगंगानगर हाल श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग सिरोही व (2) श्री विकास कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्द किशोर, उम्र 27 साल, निवासी सी-50 राजा कॉलोनी, नहरी का नाका, शास्त्री नगर जयपुर हाल निवास स्थान प्लॉट नम्बर बी-35, कदम विहार गेट 1, अरावली नगर, बँनाड़ रोड जयपुर पिन 302012 हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग, सिरोही के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है।

उक्त की रोजनामचाआम 173 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1137-41 दिनांक 10.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- श्रम सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर 3 – श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राज. जयपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 5- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): DHARMENDRA Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): DUKIYA (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)